7

कृषि निदेशालय, बिहार

(राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन)

पत्र संख्या :–रा0खा0सु0मि0को0–54/2009 35/कृ0, पटना, दिनांक 13 जनवरी, 2011

प्रेषक

अरविन्दर सिंह,
कृषि निदेशक–सह–मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन,
बिहार, पटना।

उ० कृ० नि० सू०, बिहार, पटना
आवत सं० 105 दिनांक 17.01.2011

सेवा में

निदेशक,
बामेती, बिहार, पटना।

विषय : राज्य योजना 2010–11 अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन हेतु बीज वितरण, सूक्ष्म पोषक तत्व वितरण एवं कृषि यांत्रिकरण के क्रियान्वयन हेतु राज्यांश की द्वितीय किस्त का आवंटन।

प्रसंग : कृषि विभाग का स्वीकृत्यादेश संख्या–पी0पी0एम0–126/2010–5213, 5214 एवं 5215 दिनांक 06.04.2010 एवं आवंटनादेश संख्या 113 दिनांक 09.12.2010, 122 दिनांक 20.12.2010 तथा 123 दिनांक 22.12.2010

महाशय,

उपर्युक्त प्रसंगाधीन विषय के संबंध में कहना है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन वर्ष 2010–11 अंतर्गत बीज वितरण, सूक्ष्म पोषक तत्व वितरण एवं कृषि यांत्रिकरण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुदान अधिसीमा में वृद्धि की गयी है। कार्यक्रमों के अनुदान के राज्यांश मद में द्वितीय किस्त का आवंटन कृषि विभाग के प्रासंगिक पत्र द्वारा कुल 654.36 लाख रूपये विमुक्त किया गया है जिसकी निकासी कर आपको उपलब्ध करा दिया गया है। राज्य योजना अंतर्गत आवंटित इस राशि को संलग्न अनुसूची–1 (क) (ख) (ग) के अनुसार फसलवार/कार्यक्रमवार कुल राशि 408.75 रूपये विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से जिलों को उपावंटित किया जाता है।

1. निदेशक, बामेती, बिहार संलग्न अनुसूची–2 (ख) के कॉलम–6 में अंकित राशि एवं नाम से लेखा देय बैंक ड्राफ्ट तैयार करवाकर संबंधित परियोजना निदेशक, आत्मा को अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
2. जिला कृषि पदाधिकारी एवं परियोजना निदेशक, आत्मा द्वारा इस राशि को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन हेतु अलग से संधारित लेखा में रखा जायेगा एवं लेखा संधारण के मानक नियमों एवं समय–समय पर इस संबंध में भारत सरकार एवं राज्य सरकार से प्राप्त मार्गदर्शिका का अनुपालन किया जायेगा।
3. कार्यक्रम का कार्यान्वयन संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 में किया जायेगा एवं राज्यांश की राशि का संधारण रोकड़ पंजी एवं अन्य अभिलेख अलग संधारित कराया जायेगा तथा मूल अभिश्रवों का व्यौरा सहित समेकित विपत्र बामेती को उपलब्ध कराया जायेगा। बामेती के स्तर पर संकलित अभिश्रवों को कृषि निदेशक, बिहार को भेजा जायेगा जहाँ DC विपत्र तैयार कर महालेखाकार को भेजा जायेगा।

VIKASH JANUARY (FIRST HALF) NFSM 2011

4. वित्तीय वर्ष 2010–11 के समाप्ति के तुरन्त बाद चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से अंकेक्षित प्रतिवेदन राज्य सरकार/मिशन निदेशक, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, कृषि विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जायेगा।
5. महालेखाकार, बिहार, पटना को अंकेक्षण का अधिकार होगा एवं माँगे जाने पर उन्हें अभिलेख, अभिश्रव इत्यादि उपलब्ध कराया जायेगा।
6. राज्य योजना वर्ष 2010–11 द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अंतर्गत उक्त कार्यक्रमों का कार्यान्वयन प्राथमिकता के आधार पर कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा शत–प्रतिशत ससमय करना सुनिश्चित किया जायेगा।
7. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन वर्ष 2010–11 अंतर्गत केन्द्रांश तथा राज्यांश कार्यक्रमवार प्रतिवेदन में अलग–अलग अंकित किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र वर्ष की समाप्ति पर कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा भेजना सुनिश्चित किया जायेगा।
8. राज्यांश मद की शेष राशि मो0 245.61 लाख रूपये (दो करोड़ पैतालीस लाख एकसठ हजार रूपये मात्र) संरक्षित रखा जाय जिसे बाद में आवश्यकतानुसार कार्यान्वयन एजेंसी को आवंटित की जायेगी।

प्रस्ताव में विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

अनुलग्नक : अनुसूची–1 (क) (ख) (ग) एवं अनुसूची–2 (क) एवं (ख)

विश्वासभाजन

(अरविन्दर सिंह)
कृषि निदेशक–सह–मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 35/कृ0, पटना, दिनांक 13 जनवरी, 2011

प्रतिलिपि :– (1) महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) संबंधित सभी जिला कृषि पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) सभी प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक/संबंधित सभी जिला कृषि पदाधिकारी/संबंधित परियोजना निदेशक, आत्मा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उन्हें निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त निदेशों का पूरी तत्परता एवं दृढ़ता से अनुपालन करना सुनिश्चित की जाय तथा योजनाओं का कार्यान्वयन एवं राशि का सदुपयोग ससमय कराना सुनिश्चित करेंगे।

(4) उप कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर जारी करने हेतु प्रेषित।

(5) उप कृषि निदेशक (फसल), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक–सह–मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन,
बिहार, पटना।

अनुसूची--1 (क)

कृषि विभाग, बिहार सरकार

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन--चावल वर्ष--2010--11 अन्तर्गत द्वितीय विमुक्ति योग्य राज्यांश की विवरणी

वित्तीय लाख रुपये में।

क्र0 सं0	जिला का नाम	बीज वितरण मद में राज्यांश की द्वितीय विमुक्ति योग्य राशि	सूक्ष्म पोषक तत्व मद में राज्यांश की द्वितीय विमुक्ति योग्य राशि	जीरो टिलेज/सीड ड्रील मद में राज्यांश की द्वितीय विमुक्ति योग्य राशि	रोटावेटर मद में राज्यांश की द्वितीय विमुक्ति योग्य राशि	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7
1	नालन्दा		0.916	0.163	0.593	1.672
2	मुजफ्फरपुर		1.128	0.133	0.474	1.735
3	पु0 चम्पारण		1.441	0.215	0.801	2.457
4	प0 चम्पारण		1.380	0.148	0.534	2.062
5	सीतामढी		0.715	0.148	0.534	1.397
6	दरभंगा		0.715	0.148	0.534	1.397
7	मधुबनी		1.254	0.163	0.593	2.010
8	समस्तीपुर		0.613	0.163	0.593	1.369
9	जमुई		0.443	0.089	0.297	0.829
10	बॉका		0.749	0.096	0.326	1.171
11	सहरसा		0.647	0.089	0.297	1.033
12	सुपौल		0.797	0.096	0.326	1.219
13	मधेपुरा		0.596	0.111	0.385	1.092
14	किशनगंज		0.903	0.067	0.208	1.178
15	अररिया		0.732	0.081	0.267	1.080
16	कटिहार		0.835	0.133	0.474	1.442
17	गया		1.022	0.192	0.712	1.926
18	सीवान		0.783	0.155	0.563	1.501
मिशन निदेशक को बीज अनुदान मद		34.300				34.300
कुल		34.300	15.669	2.390	8.511	60.870